



प्रेस विज्ञप्ति
09/9/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स ए टू जेड सॉल्यूशन के मामले में मेसर्स ए टू जेड सॉल्यूशंस (इसके मालिक आरिफ अली के माध्यम से), नितिन गुप्ता, गर्वित सिंघल और उदित गर्ग के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेने के लिए नामित आरोपियों को नोटिस जारी किए हैं।

ईडी ने साइबर पुलिस, देहरादून द्वारा मेघा रावत और अन्य के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें उक्त आरोपी व्यक्तियों द्वारा मेसर्स ए टू जेड सॉल्यूशन के नाम से कथित रूप से फर्जी कॉल सेंटर चलाने का आरोप लगाया गया था।

पीएमएलए के तहत ईडी की जाँच से यह भी पता चला कि कॉल सेंटर विदेशी ग्राहकों को ऑनलाइन तकनीकी सहायता सेवाएँ प्रदान करने में लगा हुआ था, उन्हें धोखे से यह विश्वास दिलाकर कि यह माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ है। विदेशी नागरिकों को ठगकर की गई इस अवैध कमाई को अवैध माध्यमों से भारत में भेजा जाता था।

उत्तराखंड पुलिस ने मेसर्स ए टू जेड सॉल्यूशन के परिसरों में तलाशी अभियान चलाया और नकदी जब्त की, जिसे प्रवर्तन निदेशालय ने अपराध के आगम के रूप में 1.26 करोड़ रुपये (लगभग) का अनंतिम कुर्की आदेश जारी करके जब्त कर लिया है।

आगे की जांच जारी है।